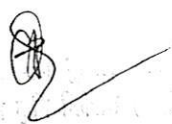


वरिष्ठ राज्य सलाहकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें

1. पदनाम—वरिष्ठ राज्य सलाहकार।
2. अहर्तायें—कृषि विषय में परास्तानक(एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स/प्रसार/एग्रोनॉमी/माइक्रोलॉजी -प्लान्ट पैथोलॉजी/एन्टोमोलॉजी/स्वायल साइंस/जेनेटिक्स-प्लान्ट ब्रीडिंग) तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त श्रेणी-1 अधिकारी/ कृषि विभाग,उ०प्र० में संयुक्त कृषि निदेशक अथवा उच्च पदों पर तैनात सेवानिवृत्त अधिकारी/केन्द्रीय अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त निदेशक प्रसार/शोध) उपरोक्त पद हेतु अर्ह होंगे।
3. अधिमानी अर्हता— पी०एच०डी० धारक को वरीयता दी जायेगी।
4. आयु— आयु सीमा 60 वर्ष से 65 वर्ष के माध्य तथा चयनोपरान्त कम से कम 02 वर्ष की सेवा प्रदान करने की स्थिति में हो।
5. मानदेय— शासनादेश संख्या-स-3-302(1)/10-2013-308/97 टी०सी० दिनांक 22.04.2013 में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्त के उपरान्त पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारण किया जायेगा, किन्तु अधिकतम देय मानदेय रू० प्रतिमाह 100000.00 से अधिक नहीं होगा।
6. चयन का आधार— साक्षात्कार तथा शैक्षिक योग्यता।

क्र०सं०	शैक्षिक अर्हता	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	प्रदान किये जाने वाले अंक
1	हाईस्कूल	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	15 अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	10 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	05 अंक
2	इण्टरमीडिएट	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	15 अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	10 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	05 अंक
3	स्नातक	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	15 अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	10 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	05 अंक






(डॉ० सुभाष बहादुर यादव)
अपर कृषि निदेशक (चावल)


(निदेशक वरिष्ठ)
वित्त विभाग (नियंत्रक निधि विभाग)
कृषि निदेशालय, उ०प्र० कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

4	परास्तानक	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	15 अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	10 अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	05 अंक
5	सक्षात्कार	—	20 अंक

7. कार्य एवं दायित्व

- 7.1 Will provide technical backstopping and also help in monitoring of the scheme implementation.
- 7.2 Design understanding of Sustainable Agriculture Systems(SAS) including eco system services at farm level and cluster level.
- 7.3 Design understanding of Farmer Producer Organization(FPOs) and Farmer Producer Companies(FPCs) for value addition and marketing of surplus produce at different cluster levels(GP, Block and District).
- 7.4 Design for training Modules of SAS and FPOs/FPCs.
- 7.5 Coordination for Convergence of resources at National, State, District and GP level.
- 7.6 Take up concurrent evaluation based on case studies in identified areas.
- 7.7 Performance Matrix development for Monitoring.
- 7.8 Administration and Coordination of Organic/ Natural Farming at respective levels.
- 7.9 Undertake publicity/information campaign to creates awareness about the scheme activity including organizing workshops/ conferences/ symposium etc.

8. चयन सम्बन्धी दिशा निर्देश—

7. तैनात किये जाने वाले वरिष्ठ राज्य सलाहकार को मानदेय— शासनादेश संख्या—स-3-302(1)/10-2013-308/97 टी0सी0 दिनांक 22.04.2013 में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्त के उपरान्त पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारण किया जायेगा, किन्तु अधिकतम देय मानदेय रू0 प्रतिमाह 100000.00 से अधिक नहीं होगा।

8.1 प्रथम नियुक्ति एक वर्ष की अवधि क लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये)की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत आगे बढ़ाया जा सकेगा।

8.2 वरिष्ठ राज्य सलाहकार के पद पर आवेदन हेतु उर्पयुक्त अर्हता को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी दिनांक. 22.10.2026 तक अपना आवेदन पत्र संयुक्त कृषि निदेशक (बाढो0यो0), कृषि भवन, लखनऊ की ई मेल आईडी0 jdafp.soil2@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र में ई मेल, पता व मोबाइल नम्बर, आवश्यक रूप से इंगित किया जायेगा।

8.3 आवेदक का चयन तथा तैनाती के सम्बन्ध में कृषि निदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(मो0 जालिन दुसैन)
वरिष्ठ सहायक

(विशाम्बर बाबू)
(डॉ0 लाल बहादुर यादव)वित्त नियंत्रक
अपर कृषि निदेशक (कृषि)निदेशालय, उ0प्र0
उत्तर प्रदेश लखनऊ

(नयनक बापि निपाठी)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

- 8.4 चयनित तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश उनके नियुक्ति पत्र के साथ निर्गत किये जायेंगे।
- 8.5 हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 8.6 आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. चयन प्रक्रिया की समय-सारणी :-

क्र०सं०	चयन सम्बन्धी कार्यवाही	दिनांक
1	आवेदन प्रारम्भ की तिथि	06.10.2026
2	आवेदन की अन्तिम तिथि	22.10.2026
3	साक्षात्कार	23.10.2026

10. साक्षात्कार कृषि निदेशालय, उ०प्र० मदनमोहन मानवीय मार्ग, लखनऊ 226001 उपरोक्त समय सारणी के अनुसार प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा।

(सि० जलिन दुसैन)
वरिष्ठ सहायक

(सि० जलिन दुसैन)
वरिष्ठ सहायक

(डॉ० लाल बहादुर यादव) (विशम्भर बाबू)
अपर कृषि निदेशक (चावल) वित्त नियंत्रक
उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ

(प्रमाणित सहायक निदेशक)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

**वरिष्ठ राज्य सलाहकार के पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त के सम्बन्ध में
आवेदन प्रपत्र**

1	अभ्यर्थी का पूरा नाम(हिन्दी में)		रंगीन पासपोर्ट फोटो स्वहस्ताक्षरित
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)		
2	पिता/पति का नाम		
3	जन्म तिथि (अभिलेख सहित)		
4	को आयु		
5	लिंग (स्त्री/पुरुष)		
6	स्थायी निवास का पता		
7	वर्तमान निवास का पता		
8	पिछली सेवा का विवरण (अभिलेख सहित)		
	विभाग/संस्था का नाम	सेवानिवृत्त के समय धारित पदनाम	अन्तिम वेतनमान सेवानिवृत्त की तिथि
9	शैक्षणिक योग्यता (शैक्षिक योग्यता संबंधी स्वप्रमाणित अभिलेख संलग्न करें)		
	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	शैक्षणिक संस्था का नाम प्राप्तांक/पूर्णांक
9.1	हाईस्कूल		
9.2	इण्टरमीडिएट		
9.3	स्नातक		
9.4	परारस्नातक		
9.5	पीएचडी उपाधि		
स्व घोषणा			
मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं। यदि किसी भी समय कोई भी विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी गई अथवा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया गया है तो मेरा अभ्यर्थन चयन प्रक्रिया से निरस्त कर दिया जाये। स्थान..... दिनांक..... संलग्नकों का विवरण हस्ताक्षर..... नाम..... मोबाइल नम्बर.....			

(डॉ० लाल बहादुर यादव)
अपर कृषि निदेशक (चावल)
उत्तर प्रदेश

(विशम्भर बाबू)
वित्त निबंधक
कृषि निदेशालय, उ०प्र०

(अश्वक मणि त्रिपाठी)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश